रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

HQ 11/4/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1988/आश्विन 8, 1910

No. 522] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1988/ASVINA 8, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि. 973(अ) :--केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पोर्ट कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति निधि) विनियम, 1988 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. पी. डब्ल्यू./पी.ई.आर.-52/85-पी.ई. 1]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कांडला पोर्ट कर्मचारी (सेवा-निवृत्त लाभ निधि) विनियम 1988

कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :--

ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति लाभ निधि) विनियम, 1988 कहे जायेंगे।

2. परिभाषाएं :--

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "बोर्ड" से कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल अभिप्रेत है।

(ii) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(iii) "कर्मचारी" से बोर्ड का ऐसा स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी अभिप्रेत है जिसकी मृत्यु हो चुकी है अथवा जो बोर्ड के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है अथवा त्यागपत्र दे चुका है अथवा जो निलंबित हो चुका है, परन्तु इसमें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय के स्थायी

अथवा अस्थायी कर्मचारी अथवा बोर्ड में प्रतिनियुक्त कोई प्राधिकारी सम्मिलित नहीं है।

(iv) "निधि" से विनियम 3 के अधीन स्थापित कांडला पोर्ट कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि अभिप्रेत है।

(v) "पेंशन नियम" से ऐसे नियम/विनियम/आदेश अभिप्रेत हैं जो बोर्ड के कर्मचारियों को समय-समय पर यथा अनुज्ञेय पेन्शन, मृत्यु सह-सेवा-निवृत्ति उपदान/पेंशन के संराशीकरण, परिवार पेंशन अथवा अन्य पेंशनिक/सेवान्त लाभ की व्यवस्था करते हैं।

(vi) "अंशदायी भविष्य निधि" से अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित नियम/विनियम/आदेश अभिप्रेत हैं जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों को समय-समय पर यथा अनुज्ञेय विशेष अंशदान भी सम्मिलित है।

(vii) "वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी" से बोर्ड का वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है अथवा, अध्यक्ष द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए समय-समय पर जैसा भी निर्धारित किया जाए वैसा अन्य अधिकारी अथवा लेखा विभाग का अधिकारी अभिप्रेत है।

3. निधि की स्थापना :

कांडला पोर्ट कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि नामक निधि स्थापित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जायेगा :--

(क) बोर्ड के सामान्य लेखा से ऐसा वार्षिक अंशदान जिन्हें कर्मचारियों के संबंध में पेंशन उपदान, विशेष अंशदान और अन्य कोई पेंशनिक/सेवान्त लाभों की भावी देयताओं को पूरा करने हेतु बोर्ड द्वारा समुचित रूप से पर्याप्त समझा गया हो।

(ख) निधि से संबंधित निवेशों पर ब्याज तथा लाभ।

(ग) निधि में दी गई कोई भी अन्य राशि।

(घ) पेंशन अथवा उपदान का कोई अन्य अतिरिक्त संदाय जो कि वसूल अथवा प्रतिसंदत्त किया गया हो।

4. निधि का संचालन :--

यह निधि, बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उनकी ओर से वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी।

5. निधि से व्यय :—

इस निधि में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक अथवा उस अधिक के लिए व्यय किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों अथवा उन के आश्रितों जैसी भी स्थिति हो, को पेंशन नियमावली के अधीन यथा अनुज्ञेय पेंशन और परिवार पेंशन का संदाय।

(ii) कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों अथवा उनके आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, को उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन उपदान का तथा पेंशन नियमावली के अधीन यथा अनुज्ञेय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान और सेवान्त उपदान का संदाय।

(iii) पेंशन नियमावली के अधीन यथा अनुज्ञेय पेंशन के संराशित मूल्य का संदाय।

(iv) कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि नियमावली द्वारा शासित कर्मचारियों के संबंध में विशेष अंशदान का संदाय।

(v) पेंशन नियमावली के अधीन संदेय अन्य कोई पेंशनिक/सेवान्त लाभ।

6. निधि का संवितरण :--

इस निधि से कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्यों अथवा उनके नाम निर्देशिती अथवा उनके आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, को संस्वीकृत करने हेतु। सक्षम प्राधिकारी की विशेष संस्वीकृति से, पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के अधीन प्रवृत्त पेंशनिक/सेवान्त लाभ संवितरित किये जायेंगे।

7. निधि का निवेश :--

अध्यक्ष अथवा उनकी ओर से वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी दैनिक संदाय पूरा करने के लिये अलग बैंक खाते को परिचालित करेंगे और साथ ही वे सेवानिवृत्ति लाभ निधि के तत्काल संवितरण हेतु अनपेक्षित धन का समय-समय पर भारतीय न्यास अधिनियम 1982 द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों के रूप में अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित ऐसी ही अन्य प्रतिभूतियों के रूप में निवेश करेंगे।

8. अधिकतम संचयन :--

निधि में अधिकतम संचयन रु. 2 करोड़ अधिक न होगा।

9. निर्वचन :—

इन विनियमों के उपबन्धों के निर्वचन से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा।

सुधीर शंकर नागर,
विभाग अधिकारी

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

New Delhi, the 30th September, 1988

NOTIFICATION

G. S. R. 973 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Retirement Benefit Fund), Regulations, 1988 made by the Board or Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PW|PER-52|85-PE. I]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT EMPLOYEES (RETIREMENT BENEFIT FUND) REGULATIONS, 1988

In exercise of the Powers conferred by Section 28 of the Major Port Trust, Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short Title & Commencement :—These regulations shall be called 'Kandla Port Employees' (Retirement Benefit Fund), Regulation, 1988.

2. Definitions :—In these regulations unless the context otherwise requires :—

(i) "Board" means the Board of Trustees for the Port of Kandla.

(ii) "Chairman" means the Chairman of the Board.

(iii) "Employee" means an employee of the Board whether permanent or temporary who has died or retired or resigned from the service under the Board or whose services have been terminated but does not include any permanent or temporary employee of the Central or State Government or a local body or other authority on deputation with the Board.

(iv) "Fund" means the Kandla Port Employees retirement benefit fund established under Regulation 3.

(v) "Pension Rules" means rules|regulations| orders to provide Pension Death-cum-Retirement|Gratuity, Commutation of pension, family pension or any other pensionary|terminal benefit as applicable to the employees of the Board from time to time.

(vi) "Contributory Provident Fund" means the Rules|Regulations|orders regarding Contributory Provident Fund including special contribution, as applicable to the employees of the Board from time to time.

(vii) "Financial Advisor & Chief Accounts Officer" means the Financial Adviser & Chief Accounts Officer of the Board, or such other officer or officer of the Accounts Department as may be prescribed by the Chairman from time to time for any specified purpose or purposes.

3. Establishment of the Fund :—There shall be established a fund to be called Kandla Port Employees, Retirement Benefit Fund and other shall be credited thereto :

(a) Such annual contribution from the general account of the Board as the Board may deem reasonably sufficient for meeting the future liability of pension, gratuity, special contribution and any other pensionary|terminal benefits in respect of employees.

(b) Interest and Profit on investment belonging to the fund;

(c) Any other sum made over to the fund.

(d) Any excess payment of pension or gratuity as may be recovered or refunded.

4. Administration of Fund :—The fund shall be administered by the Chairman or on his behalf by the Financial Adviser & Chief Accounts Officer of the Board.

5. Expenditure from the Fund :—Expenditure may be incurred out of the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(i) Payment of pension and family pension as admissible under the pension rules to the employees or their family members or their dependents as the case may be.

(ii) Payment of gratuity under Payment of Gratuity Act, 1972 and Death-cum-Retirement, Gratuity and terminal gratuity as admissible under the pension rules to the employees or their family members or their dependents as the case may be;

(iii) Payment of Commuted value of pension as admissible under the Pension Rules;

(iv) Payment of Special Contribution in respect of employees governed by Contributory Provident Fund Rules to the employees.

(v) Any other pensionary|terminal benefits payable under Pension Rules.

6. Disbursement of the Fund :—Disbursement shall be made out of the fund to the employees or their family members or their nominees or their dependents as the case may be under the specific sanction of the authority competent to sanction the Pensionary|Terminal benefit under the Pension| Contributory Provident Fud rules in force.

7. Investment of Fund :—The Chairman or on his behalf the Financial Advisor and Chief Accounts Officer may operate the Savings Bank Account for meeting the day-to-day payment and invest from time to time money in the retirement benefit fund not immediately required for disbursement, in the Securities authorised by the Indian Trusts Act, 1982 or in Fixed Deposits (in a Nationalised Bank) or such other securities as the Central Govt. may approve from time to time.

8. Maximum Accumulation : —The maximum accumulation in the fund shall not exceed Rs. 2 crores.

9. Interpretation :—In case of any doubt regarding interpretation of the provisions of these regulations, the decision of the Central Government shall be final.

SUDHIR SHANKAR NAGAR, Section Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988